यह निरीक्षण आख्या **उपनिदेशक उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

कार्यालय **उपनिदेशक उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय देहरादून** के माह 08/15 से 04/16 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री भानु प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री एस.के.गुप्ता सहायक सम्प्रेक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.05.2016 से 27.05.2016 तक सम्पादित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

(अ) परिचयात्मकः- यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा-

1. डॉ. अन्जु अग्रवाल 18.09.2015 से वर्तमान तक।

2. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड में सम्बद्ध रहेः- रिक्त

3. विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तर की अद्यतन स्थिति- शून्य

(स) सतत् अनियमिततायेः- शून्य

(द) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): शून्य

6. बजटः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2015-16	4145.65	4109.88

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-01- विभागीय शिथिलता/चूक के कारण ☐ 35.81 लाख की एरिअर (बकाया) मद की धनराशि का अप्रयुक्त रहना और कालातीत (Lapse) हो जाना।

कार्यालय, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, रायपुर देहरादून (उपनिदेशक, उच्च शिक्षा, कार्यालय देहरादून (अशासकीय महाविद्यालय का वेतन आहरण) की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्ष 2015-16 के दुयारान कुल आवंटन ☐ 4145.7 लाख था। इस आवंटन के सापेक्ष कार्यालय द्वारा ☐ 4109.88 लाख का व्यय किया गया था।

चूंकि यहाँ धन का आवंटन केवल वेतन के भुगतान के लिए होता है,जो कि पूर्व निर्धारित/नियोजित होता है। अतः ☐ 35.81 लाख के अप्रयुक्त रहने के संदर्भ में सम्प्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर कार्यालय ने बताया कि बजट मांग में कार्यरत कार्मिकों के वरिष्ठ/चयन वेतनमान के एरिअर भी शामिल किए गए थे, परंतु 28.03.2016 तक महाविद्यालयों द्वारा एरिअर बिल प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः 29.03.2016 को बजट समर्पित करना पड़ा।

सम्प्रेक्षा को उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस संबंध में कार्यालय द्वारा महाविद्यालय को दिनांक 26 मार्च 2016 को पत्र लिया गया था, जबकि एरिअर की धनराशि का आवंटन निदेशक (उच्च शिक्षा), हल्द्वानी के पत्रांक डिग्री बजट/15470/2015-16 के माध्यम से 08.03.2016 को ही कर दिया गया था। यदि समय से पत्राचार किया गया तो, एरिअर मद में प्राप्त बजट अप्रयुक्त नहीं रहता।

अतः कार्यालय की शिथिलता के कारण एरिअर (बकाया) मद के ☐ 35.81 लाख की धनराशि के अप्रयुक्त रहने और कालातीत (Lapse) हो जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-02- बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही बजट आवंटन किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी के पत्रांक संख्या 4409-15/2015-16 दिनांक 18 जून, 2015 के अनुसार वर्ष 2015-16 में आयोजनेत्तर पक्ष में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु धनराशि आवंटन कुछ शर्तों के साथ किया गया था जिनमें धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में न किया जाना, आवंटित धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय विवरण प्रत्येक माह की 5 वी तिथि तक निदेशालय के डिग्री बजट अनुभाग को उपलब्ध कराया जाना एवं उपलब्ध धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य था।

उपनिदेशक उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय देहरादून के लेखापरीक्षा की जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही बजट आबंटित कर दिया गया जो शासनादेश की अवहेलना थी। उक्त के संबंध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा आपत्ति स्वीकार करते हुए अनुपालना करने की बात कही।

अतः बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही बजट आबंटन करने का मामला संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान/निराकरण स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें अलग से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **उपनिदेशक उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय देहरादून** को इस आशय से प्रेषित की गई कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)